जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 8737 / 2025 दिनांकः29 अगस्त, 2025

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–विश्वविद्यालय / संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः ई–5914 / 32–जी0एस0 / 2025 / 103–3 / 154 / 2025, दिनांकः 26 अगस्त, 2025(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **विश्वविद्यालय / संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं।**

सूच्य है कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है, तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, यदि किसी छात्र / छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, तो उसे परीक्षा फार्म भरने एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय / संस्थान एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो, तो उपयुक्त होगा।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि **संलग्न पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।**

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एल पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.inE-mail :- jncuballia@gmail.com

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्याःई–5914/32–जी0एस0/2025/103–3/154/2025

दिनांक 26 अगस्त ,2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
(चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश ।

विषयः विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नही बैठ सकते है।

कृपया छात्रगणों को इस आशय की नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय/संस्थान व सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा ।

3– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)

कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी ।